

17/12

पत्रावली प्रेषण हुई। वकील वारी एवं
 वारी वारी अनुपस्थित। न्यायालय
 समय में रजक-रजक कर तीन मरठका
 आवक पुनः वारी पर भी वारी उपस्थित
 नहीं हुआ। पत्रावली का खालीकरण किया
 पूर्व आदेशों के अनुसार तलबी प्रेषण
 करने हेतु पत्रावली अवकाश तथा दि. 19-9-22
 को अखिर अवकाश उदाहरण किए जाने पर
 वारी भी अंत में तलबी (तलबी का समाप्त)
 प्रेषण नहीं किया गया। ना ही प्रेषण नहीं करने
 के कारणों से आवक कर समाप्त। अतः
 न्यायालय अखिर उदाहरण 3 दिनांक 3 व
 5 सीपीसी. यह जो खालीप कर का उदाहरण
 समाप्त है। बाद खालीप किया जाता है।
 पत्रावली प्रेषण सुधार हेतु कर का वकील
 वकील वकील वकील है।

उपखण्ड अधिकारी
 जालावाड़